

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या: 115

शुक्रवार, 1 अप्रैल, 2016/12 चैत्र, 1938(शक)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

बैठक प्रारम्भ होते ही श्री रविन्द्र सिंह, माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि दिनांक 31 मार्च, 2016 को मांग संख्या: 9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा हुई। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री के उत्तर तथा स्पष्टीकरण देने के पश्चात् जब माननीय अध्यक्ष ने प्रश्न किया कि क्या कटौती प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं तो सरकार ने समर्थन में "हां" कहकर कटौती प्रस्ताव स्वीकार कर लिए। पिछले कल से यह सरकार अल्पमत में है। अब सरकार का सत्ता में रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा :-

" कल दिनांक 31 मार्च, 2016 को मांग संख्या: 9-'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण' पर चर्चा के उपरान्त माननीय मन्त्री जी के उत्तर के दृष्टिगत मैंने विपक्ष के माननीय सदस्यों सर्वश्री महेन्द्र सिंह, रिखी राम कौंडल, विजय अग्निहोत्री, इन्द्र सिंह, जय राम ठाकुर, महेश्वर सिंह, सुरेश भारद्वाज, रविन्द्र सिंह और डॉ० राजीव बिन्दल से आग्रह किया था कि वे अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने के लिए तैयार हैं। इस पर माननीय सदस्यों ने अपनी कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। केवल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री जी न कहा 'हां', उस समय मैंने कोई भी प्रस्ताव मतदान के लिए नहीं रखा था। मैंने माननीय सदस्यों से बार-बार आग्रह किया

कि क्या वे अपने-अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने के लिए तैयार हैं? जब सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं की तब तक मैंने अपने विवेक से प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत किया।

तो प्रश्न यह है कि सर्वश्री महेन्द्र सिंह, रिखी राम कौंडल, विजय अग्निहोत्री, इन्द्र सिंह, जय राम ठाकुर, महेश्वर सिंह, सुरेश भारद्वाज, रविन्द्र सिंह और डॉ० राजीव बिन्दल के कटौती प्रस्ताव वापिस किए जाएं।

जो इसके पक्ष में हैं, हां कहें,.....
जो इसके विरुद्ध हैं, न कहें,.....
न की, न की, न में रही,
प्रस्ताव गिर गया।
कटौती प्रस्ताव अस्वीकार।

यह सब विधान सभा की Unedited verbatim proceedings में है।

(पूर्वाह्न 11.25 बजे विपक्ष ने सदन से वॉक आउट किया)

I don't think there is any anomaly in this and they should not raise any question. They should not make this House a fish market. I think that if they have to talk something sensible, they should come here and discuss the matter. "

11.25 AM

1. प्रश्नोत्तर:

(i) तारांकित प्रश्न:

तारांकित प्रश्न संख्या 3120, 3122, 3123, 3125, 3127, 3128, 3130, 3132, 3135 से 3137 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 3116 से 3119, 3121, 3124, 3126, 3129, 3131,

3133 तथा 3134 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 3138 से 3158 तक के उत्तर सम्बन्धित मन्त्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्न:**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1315 से 1323 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12-00 PM

2. कागजात सभा पटल पर:

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :-

- (i) हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग अधिनियम, 2010 की धारा 13(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15; और
- (ii) अकादमी की संविधान की धारा-21 के अन्तर्गत हिमाचल कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2013-14.

(2) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी :-

- (i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15;

- (ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित);
- (iii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15;
- (iv) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15;
- (v) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (बिजली नियामक लेखा पर विवरण प्रणाली) विनियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीआरसी/एच(1)1/2014 दिनांक 22.12.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.01.2015 को प्रकाशित;
- (vi) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन का संवर्द्धन अक्षय ऊर्जा स्रोतों से और नियम एवं शर्तें टैरिफ के निर्धारण के लिए) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीआरसी/428 Vol-VIII दिनांक 11.02.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.02.2015 को प्रकाशित;
- (vii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (तत्कालीन हि0प्र0 विद्युत बोर्ड और उतराधिकारी संस्थाओं के टर्मिनल लाभ की लागत के बटवारे के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीआरसी/(5)(3)(1) दिनांक 31.03.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.04.2015 को प्रकाशित;

- (viii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (बिजली की आपूर्ति के लिए व्यय की वसूली) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीआरसी/419 दिनांक 22.07.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.07.2015 को प्रकाशित;
- (ix) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (छत सौर पी वी ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणाली शुद्ध माप के आधार पर) विनियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/एच (1)11/2015 दिनांक 03.08.2015 को प्रकाशित;
- (x) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (बिजली की आपूर्ति के लिए व्यय की वसूली) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/419 दिनांक 21.09.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.09.2015 को प्रकाशित;
- (xi) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (बिजली की आपूर्ति के लिए व्यय की वसूली) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीआरसी/419 दिनांक 19.10.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.10.2015 को प्रकाशित;
- (xii) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (प्रतिभूति जमा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीआरसी/414/(प्रतिभूति जमा) दिनांक 28.11.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.12.2015 को प्रकाशित;

(xiii) राज्य सलाहकार समिति के बारे में अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:एचपीईआरसी/बी(32)1/2013 दिनांक 23.12.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.12.2015 को प्रकाशित;

(xiv) राज्य सलाहकार समिति के बारे में अधिसूचना जोकि अधिसूचना संख्या:एचपीईआरसी/बी(32)-1/2013 दिनांक 08.01.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.01.2016 को प्रकाशित।

((v) (xiv) तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम हैं)

(3) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री द्वारा प्राधिकृत श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, विकास अधिकारी, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या: इण्ड-II(बी) 2-8/2006-1 दिनांक 05.03.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.03.2016 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

(4) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **श्री अनिरुद्ध सिंह** ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की :-

"दिनांक 22 मार्च, 2016 को पंजाब केसरी समाचार-पत्र में छपे समाचार शीर्षक "टंकियों की सफाई पर खर्चे 16 करोड़ रुपए से उत्पन्न स्थिति।"

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) **श्री पवन काज़ल** ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की :-

"हाल ही में हुई भारी वर्षा से कांगड़ा शहर में एकत्रित जल की निकासी हेतु उचित व्यवस्था न होने" से उत्पन्न स्थिति।

शहरी विकास मन्त्री द्वारा प्राधिकृत आबकारी एवं कराधान मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

4. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख:

कार्यसूची में नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के कुल 4 विषय रखे गए थे लेकिन माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण उनको सदन में नहीं लिया गया।

(सदन की बैठक अपराह्न 12.20 बजे सोमवार, दिनांक 4 अप्रैल, 2016 के अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई)